न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–54/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामेश्वर दयाल पुत्र श्री रामकिशोर ब्राहमण,
2. निरंजन कुमार पुत्र श्री रामकिशोर ब्राहमण निवासीयान ग्राम शाहपुर, तहसील व जिला अलवर।

.....वादीगण/ अपीलांट

बनाम

1. पप्पू खॉ पुत्र श्री ज्ञानसिंह, जाति मेव,
2. जाकिर खॉ पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव,
3. हाकमदीन पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव,
4. रत्ती खॉ पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव,
5. रत्ती मौहम्मद पुत्र श्री ज्ञानसिंह जाति मेव निवासीयान ग्राम दिलावरपुर तहसील व जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री चन्द्रभान शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.01.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में एक वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 844 रकबा 0.44 ऐयर, 845 रकबा 0.19 ऐयर वाके ग्राम दिलावरपुर तहसील अलवर में स्थित है। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.02.2012 के तहत प्रतिवादी रेस्पो0 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया था कि वो आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 844 रकबा 0.34, 845 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम दिलावरपुर तहसील अलवर पर किसी

प्रकार का निर्माण कार्य ना करें। उक्त आदेश समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बढाया जाता रहा एवं जो आदेश के प्रभावी होते हुये भी व उक्त आदेश की जानकारी होते हुये भी आराजी खसरा नंबर 844 रकबा 0.34 है0 के दक्षिण पश्चिम कोने पर पाल से लगते हुये करीब 30 बाई 40 फुट पर बेजा अतिक्रमण करते हुये दो कमरों का निर्माण करा लिया व बाउण्ड्री वाल भी करा ली है जिसके फोटो भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.06.2017 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र को कैम्प शाहपुर में बेजा व खिलाफ कानून फरमाये जाने का आदेश सादिर फरमाया है जिसके खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया।अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश राजस्व कैम्प शाहपुर में सादिर फरमाया है जिसकी बाबत ना तो वादीगण अपीलांटस को कोई सूचना दी और ना ही वादीगण अपीलांटस कैम्प में मौजूद थे एवं अधीनस्थ न्यायालय ने मौजूदा प्रार्थना पत्र महज इस आधार पर खारिज फरमाया है कि मूल वाद खारिज हो चुका है। मौजूदा प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली का था एवं जिस दिन उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वो जिस दिन प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है उस दिन उनके खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा प्रभावी थी, जिसकी जानकारी होते हुये भी प्रतिवादीगण रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की स्पष्ट रूप से अवहेलना करते हुये व आदेश की जानकारी होते हुये भी खसरा नंबर 844 में दो कमरों का निर्माण करा लिया जिसके फोटोग्राफ व सी.डी भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी। जो तथ्य प्रस्तुत करदा बयानात वादी व गवाहन से साबित पाया जाता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो कोई तथ्य दर्ज किये और ना ही बयानात वादी व गवाहन पर विचार किया।पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज से प्रतिवादीगण रेस्पो0 के खिलाफ स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अवहेलना किया जाना साबित पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर कैम्प शाहपुर दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि उक्त आराजी पर हम प्रतिवादीगण रेस्पो0 काबिज काश्तकार हैं तथा उक्त आराजी में हम रेस्पो0 के मकानात बने हुये हैं तथा उक्त भूमि बाडे के रूप में काम आ रही है। वादी अपीलांट द्वारा अपने दावे में यह भी अंकित नही किया कि उक्त खसरा नंबर के साबिक खसरा नंबर कौन से थे।रेस्पो0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही रेस्पो0 के बुजुर्ग भोण्डा पुत्र सल्ला के मार्फत काबिज काश्तकार हैं। उसी समय से उक्त आराजी पर कच्चे मकान बने हुये थे जिनको सन 2000 में पक्का किया गया है। वादीगण अपीलांट ने अपने दावा व प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित करते हुये व अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुये हम रेस्पो0 के खिलाफ स्थगन आदेश इकतरफा में बिना हम रेस्पो0 को सुनवाई किये बिना प्राप्त कर लिये

थे जिसकी जानकारी हम रेस्पो0 को नही थी जो जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस जारी होने के बाद हुई। अपीलांट को यह बखूबी ज्ञात था कि उक्त आराजी पर रेस्पो0 के बुजुर्गान का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कब्जा काश्त था और उसी समय से उनके द्वारा कच्चे रिहायशी मकानात बनाये हुये थे बाद में सन 2000 में पक्के मकानों में तब्दील कर लिया। उक्त आराजी पर हम प्रतिवादीगण रेस्पो0 काबिज काश्तकार हैं तथा उक्त आराजी में हम रेस्पो0 के मकानात बने हुये हैं तथा उक्त भूमि बाडे के रूप में काम आ रही है। जो कुल निर्माण रेस्पो0 ने अपनी निजी लागत व मेहनत से किया है तथा जिस जायदाद का हम रेस्पो0 अपने बुजुर्गान के समय से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार नही थे। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2017 का अवलोकन किया।

राजस्व लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता था जो आपसी समझाईश से अथवा राजीनामा से हो सकता हो। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय यह तय किया जाना आवश्यक था कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2012 की कोई अवहेलना की या नही। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 02.06.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहत न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करे।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 31/01/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर